भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 7/11/2024 – डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, **संसद मार्ग, नई दिल्ली** – 110001

दिनांक : **30 जून**, 2025

जांच शुरुआत अधिसूचना
मामला सं. एडी (एमटीआर) – 02/2024

विषय: बांग्लादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'जूट उत्पादों' के आयातों के संबंध में मध्यावधिक समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन ["आईजेएमए"] और एपी मेस्टा ट्विन मिल्स एसोसिएशन ["एजेएमए"] (जिसे इसके बाद 'आवेदक एसोसिएशन' अथवा 'आवेदक' के रुप में भी कहा गया है) ने बांग्लादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "जूट उत्पादों" (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तु' कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मध्यावधिक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि बांग्लादेश और नेपाल से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का पुन: मूल्यांकन किए जाने और उसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

3. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना सं. 14/19/2015- डीजीएडी के तहत बांग्लादेश और नेपाल से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच शुरू की गई थी। दिनांक 20.10.2016 की अधिसूचना सं. 14/19/2015- डीजीएडी के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी और दिनांक 05.01.2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 01/2017- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत शुल्क लगाए गए थे तथा दिनांक 03.04.2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 11/2017- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत आगे संशोधित किए गए थे। इसके बाद, बांग्लादेश से 'जूट सैकिंग क्लॉथ' ('जूट सैकिंग बैग' का एक अंतिम चरण) के आयातों के संबंध में दिनांक 20.03.2018 की अधिसूचना सं. 7/3/2018- डीजीएडी के तहत एक प्रवंचना रोधी जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 19.03.2019 की अधिसूचना सं. 7/3/2018- डीजीएडी के तहत उपरोक्त अधिसूचनाओं के माध्यम से सेकिंग बैग पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे दिनांक 18.06.2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 24/2019- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत लगाया गया था।

4. प्राधिकारी ने एक निर्णायक समीक्षा जांच की और अधिसूचना सं. 7/09/2021- डीजीटीआर के तहत बांग्लादेश और नेपाल से जूट उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का आगे विस्तार करने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना सं. 33/2022 -सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत पाटनरोधी शुल्क का आगे विस्तार किया।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

5. वर्तमान जांच एक मध्यावधिक समीक्षा है, अत: विचाराधीन उत्पाद का दायरा विगत जांच के समान ही है। विगत जांच में विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार है :

"6. वर्तमान जांच बांग्लादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के संबंध में एक निर्णायक समीक्षा जांच है। अत: वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद बांग्लादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पाद" भी हैं। विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है, इस प्रकार है:

"26. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "जूट उत्पाद" है जिसमें जूट यार्न/ ट्विन

(मल्टीपल फोल्डेड/ केबल्ड और सिंगल), हेसियन फैब्रिक्स और जूट सैकिंग बैग शामिल हैं। जांच शुरू होने के समय, वर्गीकरण को अधिनियम 1975 के अध्याय 53 और 63 के तहत माना गया था और आगे सीमा शुल्क शीर्ष 5307, 5310 और 6305 के तहत उप-वर्गीकरण किया गया था। यह कहा गया था कि उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है। तथापि, बाद में नेपाल के उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए आंकड़ों से यह नोट किया गया कि नेपाल से उत्पाद के निर्यातकों/ उत्पादकों द्वारा यार्न/ ट्विन का निर्यात भी सीमा शुल्क शीर्ष सं. 5607 के तहत किया गया है, जिसमें ट्विन, डोरी, रस्सियां और केबल शामिल हैं, चाहे वे प्लेटेड हों या ब्रेडेड हों अथवा नहीं और चाहे वे रबड़ और प्लास्टिक से इंप्रेग्नेटेड, कोटेड, ढके या लिपटे हों अथवा नहीं हों।

27. *प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जूट एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल फाइबर है, जो पौधों की आंतरिक छाल से आता है। जूट के व्यापक उपयोगों में पैकेजिंग, जियोटेक्सटाइल, जड़ वाले पौधों की सुरक्षा, कपड़े, बैग, रैपिंग, बूट और जूते की लाइनिंग, फ्यूज यार्न, एप्रन, केनाल और मोटर लाइनिंग, रस्सियां, स्ट्रिंग, अपहोल्स्ट्री फाउंडेशन, पर्दे और फर्निशिंग फैब्रिक आदि का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, जूट को ऊन के साथ मिलाकर फाइन यार्न और फैब्रिक का भी निर्माण किया जा सकता है।*

28. *कच्चे जूट को गांठों के रूप में जूट मिलों में प्रोसेस किया जाता है, जिससे जूट यार्न/ ट्विन, हेसियन फैब्रिक, सैकिंग बैग और अन्य उत्पादों का निर्माण होता है। जूट की विनिर्माण प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल होते हैं जैसे कि बैच के लिए जूट का चयन करना, टुकड़ों को जोड़ना, नरम करना और चिकना करना, कंडीशनिंग अथवा पाइलिंग, ब्रेकर कार्डिंग, फिनिशर कार्डिंग, प्रथम ड्राइंग, द्वितीय ड्राइंग, तृतीय ड्राइंग और स्पिनिंग करना"*

"7. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 53 और 63 के तहत वर्गीकृत किया गया है और उन्हें आगे सीमा शुल्क शीर्ष 53101013, 63051040, 53101012 53071010 और 53072000 के तहत उप वर्गीकृत किया गया है। तथापि, उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा, यह एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में था।

"9. यह भी नोट किया जाता है कि मूल जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी होने के बाद, प्राधिकारी ने एक प्रवंचना रोधी जांच की। प्राधिकारी का दिनांक 19 मार्च 2019 के

अपने अंतिम जांच परिणाम के माध्यम से यह निष्कर्ष है कि जूट सैकिंग बैग पर लगाए गए शुल्कों की बांग्लादेश से जूट सैकिंग क्लॉथ के निर्यात के माध्यम से प्रवंचना की जा रही थी और इसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 24/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) 9 के माध्यम से बांग्लादेश से आयातित जूट सैकिंग क्लॉथ पर भी पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया गया था।"

6. अत: विचाराधीन उत्पाद के दायरे में चार उत्पाद प्रकार शामिल हैं: जूट यार्न/ ट्विन, हेसियन फैब्रिक, सैकिंग बैग और सैकिंग क्लॉथ। वर्तमान जांच में शामिल पक्षकार एमटीआर शुरू होने के 15 दिनों के भीतर पीयूसी/ पीसीएन पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

ग. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदकों ने यह दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। पाटित किए गए आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुएं तथा आवेदक द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, कार्यों अथवा अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन करने योग्य हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि दोनों को पाटनरोधी नियमावली के तहत "समान वस्तु" के रूप में माना जाना चाहिए। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तुएं मानी जा रही हैं।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

8. वर्तमान मध्यावधिक समीक्षा जांच में संबद्ध देश बांग्लादेश और नेपाल हैं।

ड़. <u>जांच की अवधि</u>

9. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2024 से मार्च 2025 (12 माह) है और क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और पीओआई की अवधि शामिल होगी। चूंकि वर्तमान समीक्षा जांच बदली हुई परिस्थितियों पर आधारित है, अत: विगत में समाप्त हुई निणायक समीक्षा जांच की पीओआई अर्थात 2020-2021 से भी तुलना की जाएगी।

च. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

10. यह आवेदन भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन ["आईजेएमए"] और एपी मेस्टा ट्विन मिल्स एसोसिएशन ["एजेएमए"] द्वारा अपने सदस्यों की ओर से दायर किया गया है। निम्नलिखित कंपनियां, जो आवेदक संघों के सदस्य हैं, भारत में इस तरह के लेख के घरेलू निर्माता हैं:

i. बोरेह जूट मिल्स प्रा। लिमिटेड
ii. कैलेडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
iii. चेविओट कंपनी लिमिटेड
iv. ग्लोस्टर लिमिटेड
v. हुगली इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा। लिमिटेड
vi. लुडलो जूट एंड स्पेशलिटीज लिमिटेड
vii. द नाइहती जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड
viii. नीलम जूट कंपनी लिमिटेड

11. उपर्युक्त कंपनियों ने विषय देशों से विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे विषय वस्तुओं के किसी भी आयातक या निर्यातकों से संबंधित नहीं हैं।

12. घरेलू उत्पादक कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात का गठन करते हैं और इसलिए एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 2 (बी) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।

छ. <u>समीक्षा के लिए आधार</u>

13. आवेदकों ने यह दावा किया है कि निम्नलिखित बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर बांग्लादेश और नेपाल के निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुन: मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है:

क. संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत में गिरावट आई है

ख. निर्यात कीमतों में गिरावट कच्चे जूट की कीमतों में गिरावट के अनुरूप नहीं है, जो कि संबद्ध वस्तुओं की प्रमुख लागत है।

ग. उत्पादकों द्वारा अपनी स्थापित क्षमता से अधिक निर्यात किया जा रहा है, जो अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के रूटिंग को दर्शाता है

14. अत: आवेदकों ने यह दावा किया है कि बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए लगाए गए पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि करने की आवश्यकता है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि बदली हुई परिस्थितियाँ स्थायी प्रकृति की हैं।

ज. मध्यावधिक समीक्षा जांच की शुरूआत

15. भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, तथा बांग्लादेश और नेपाल के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधिक समीक्षा करने की आवश्यकता को प्रमाणित करने संबंधी *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर तथा नियमावली के नियम 23(1क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधिक समीक्षा की शुरुआत करते हैं।

झ . निर्यातकों का नमूना

16. विषय देशों से बड़ी संख्या में निर्यात करने वाले उत्पादकों की संभावित भागीदारी के मद्देनजर, आवेदक ने निर्यातकों के नमूने के लिए अनुरोध किया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच को पूरा करने के लिए, और नियमों के नियम 17 के संदर्भ में, प्राधिकरण IE के नमूने का सहारा ले सकता है, अपने निष्कर्षों को या तो एक उचित संख्या में इच्छुक पार्टियों या लेखों तक सीमित कर सकता है, जो चयन के समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर सांख्यिकीय रूप से मान्य नमूनों का उपयोग करके या विषय देश से निर्यात की मात्रा का सबसे बड़ा प्रतिशत है।

ञ. सूचना की प्रस्तुती

17. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in तथा adv13-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों। फ़ाइलों तक पहुंच के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

18. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित तरीके से सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें।

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित तरीके से जांच से संबंधित अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

ट . समय सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से निम्नलिखित ई-मेल पते dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in तथा adv13-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए, जो कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई तारीख से 30 दिनों के भीतर अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित की गई हो। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना तथा अन्य दस्तावेजों की मांग करने संबंधी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई तारीख से एक सप्ताह के भीतर अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित की गई तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के लिए उत्तर दाखिल करें।

22. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा तथा ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर प्राप्त होना चाहिए।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुती</u>

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार, उसका एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का पालन न किए जाने पर अनुरोध के उत्तरों को अस्वीकार किया जा सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि अनुरोध कई भागों में किया जाता है, तो प्रत्येक भाग में एक सूचीबद्ध तालिका प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें सभी भागों/ ईमेल और संलग्न दस्तावेजों की सामग्री को रेखांकित किया जाता है। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ क्रमांक देना सुनिश्चित करें।

25. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो हितबद्ध

पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ ठीक से अनुदित पाठ प्रदान किया जाए।

26. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

27. अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें कि गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा रिक्त रखा गया हो (यदि सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और उस सूचना के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हो जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने की अनुमति देने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए ग्रहणीय नहीं है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सारांश करना संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

28. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।

29. गोपनीयता के दावे पर सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा उचित कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गस किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

30. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के संगत पैरा के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

31. प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होने और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकट नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

32. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का गोपनीय पाठ सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। प्रश्नावली प्रतिक्रिया या अन्य अनुरोध का गोपनीय पाठ अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रसारित किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में गोपनीय आधार पर अनुरोध दाखिल करने के अगले दिन से बाद में नहीं। अनुरोध/ प्रतिक्रिया/ सूचना के गोपनीय पाठ को परिचालित करने में विफलता के कारण हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जा सकता है।

<u>ढ. असहयोग</u>

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ

सिद्धार्थ महाजन
(निर्दिष्ट प्राधिकारी)